पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2017 ई0 (कार्तिक 13, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–44

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	813–819	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	639–650	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	131	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि .	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–02

विज्ञप्ति / नियुक्ति

12 सितम्बर, 2017 ई0

संख्या 777 / XLI–1 / 17 / 12 / प्रशि / 2017–प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रधानाचार्य श्रेणी–2 के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में निर्दिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य श्रेणी–02, वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा–2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त / तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम	तैनाती स्थल / संस्थान
1	2	3
1.	श्री नितिन कुमार शर्मा	रा0औ0प्र0सं0, रूद्रप्रयाग
2.	श्री शैलेन्द्र मोहन शर्मा	रा0औ0प्र0सं0, मुनि की रेती, टिहरी
3.	श्री निरंजन कुमार खुगशाल	रा0औ0प्र0सं0, बडकोट, उत्तरकाशी
4.	श्री दिनकर रौतेला	रा0औ0प्र0सं0, टाण्डी, नैनीताल
5.	श्री आशीष नौटियाल	रा0औ0प्र0सं0, तपोवन, चमोली
6.	श्री अमित कुमार	रा0औ0प्र0सं0, उत्तरकाशी
7.	श्री कविन्द्र सिंह कन्याल	रा0औ0प्र0सं0, काण्डा, बागेश्वर
8.	श्री सुधीर कुमार	रा0औ0प्र0सं0, दन्या, अल्मोड़ा
9.	कु0 चन्द्रा उप्रेती	रा0औ0प्र0सं0, बेतालघाट, नैनीताल
10.	इतिका त्यागी	रा0औ0प्र0सं0, श्रीनगर लोअर बाजार, पौड़ी
11.	शाकिर हुसैन	रा0औ0प्र0सं0, कालसी, देहरादून
12.	ममता पाण्डे	रा0औ0प्र0सं0, सल्ट महादेव, पौड़ी
13.	नीलम	रा0औ0प्र0सं0, चम्बा, टिहरी
14.	श्री दीपक कुमार चौधरी	रा0औ0प्र0सं0, अल्मोड़ा

2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्य श्रेणी–02 की सेवाएँ "उत्तर प्रदेश राज्य प्रशिक्षण (श्रम विभाग) सेवा नियमावली, 1981" के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

(2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य/रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(2.2) संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर प्रधानाचार्य श्रेणी–02 के पद पर अपनी योगदान आख्या संबंधित संस्थानों में सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रधानाचार्यों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. तैनाती स्थल/संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएँ एवं प्रमाण–पत्र निदेशक, प्रशिक्षण के माध्यम से शासन में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगीः–

(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र।

(3.4) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।

(3.5) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण–पत्र।

(3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधित न हों, के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से संबंधित मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति।

(3.8) लिखित रूप से एक "UNDER TAKING" कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो स्वतः नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जाँच संबंधित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण–पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

4. अतः संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर–1 में निर्दिष्ट तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

5. उक्त नियुक्तियाँ मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 158/2017, प्रमोद कुमार बेन्जवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका सं0 271/2017 शिप्रा थपलियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन होगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–5

शुद्धि पत्र

23 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 1073/XX(5)/17–03(अर्द्ध0 सै0)/2016–गृह अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1195/XX(5)/16–03 (अर्द्ध0 सै0)/2016, दिनाँका 22.12.2016 में अंकित अनुसूची को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर निम्नवत् अनुसूची पढ़ी जाये और अधिसूचना दिनाँक 22.12.2016 इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

जिला	परगना	मौजा	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हे0)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	जोग्यूडा	1889	0.023
			1890	0.004
			1891	0.003
			1892	0.009
			1893	0.003
			1894 म0	0.014
			1896 म0	0.012
			1897 म0	0.014
			1898 म0	0.012
			1899 म0	0.008
			1907	0.010
			1908	0.024
			1909	0.003
			1910	0.004
			1911	0.004
			1912	0.009
			योग–16	0.156

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

पदोन्नति

27 सितम्बर, 2017 ई0

संख्या 760/2017/45(100)/XXVII(8)/2005–तत्काल प्रभाव से राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत श्री राकेश टण्डन, संयुक्त आयुक्त को अपर आयुक्त, राज्य कर वेतन मैट्रिक्स लेवल '13क' (₹ 1,31,100) (पूर्व वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,900) के रिक्त पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

02. उक्त पदोन्नत अधिकारी के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना

विविध

12 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 2501/VI(1)/2017–04(07)/2017–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 की धारा 51, सपठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चल–अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने और बेचने के अधिकार के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड (विशेष क्षेत्र प्राधिकरण) पर्यटन भूमि एकत्रीकरण एवं क्रियान्वयन नियमावली, 2017

1. संक्षिप्त नाम :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड (विशेष क्षेत्र प्राधिकरण) पर्यटन भूमि एकत्रीकरण एवं क्रियान्वयन नियमावली, 2017" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :

जब तक, जिस विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियम में,

(क) अधिनियम से, उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है।

(ख) प्राधिकरण से, इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) सरकार से, उत्तराखण्ड प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है।

(घ) नियम के अन्तर्गत प्रयुक्त में लाये जा रहे शब्द एवं अभिव्यक्ति, जो परिभाषित नहीं है, का अर्थ वही होगा, जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट किया जाए।

3. लागू होना :

ये नियम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

4. सामान्य :

(1) प्राधिकरण हस्तान्तरण विलेख/क्रय विलेख द्वारा भूमिधारकों/व्यक्तियों/स्वामियों से उस मूल्य पर जैसा कि उपनियम (2) में उल्लिखित समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, से भूमि क्रय कर समूहन कर सकेगा।

(2) सचिव, पर्यटन/अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो कि अपर जिलाधिकारी से निम्न न हो अथवा सम्बन्धित जिले का विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (जहाँ जिले में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नहीं है, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी सदस्य होंगे)।

(3) समिति द्वारा भूमि एकत्रीकरण हेतु क्रय किये जाने वाली भूमि हेतु दर/धनराशि का निर्धारण ऐसी सीमा तक, जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 से अधिक निर्धारित नहीं किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी, प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त रीति से क्रय की गयी भूमि को राजस्व अभिलेखों में परिषद् के नाम दाखिल किया जायेगा।

5. परिषद् की शक्तियाँ :

प्राधिकरण को भूमि क्रय के उपरान्त एकत्रीकरण की गयी भूमि को अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत उपयोग की शक्ति होगी।

6. विविध :

(1) इन नियमों के अन्तर्गत भूमि के एकत्रीकरण से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) राज्य सरकार, शासकीय आदेशों के माध्यम से इन नियमों में स्पष्टता लाने के प्रयोजनार्थ किसी नियम या प्रारूप में संशोधन या उपान्तरण कर सकेगी।

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 2591/VI(1)/2017–04(07)/2017 T.C.–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 20 सपठित धारा 3.3(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चल–अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहीत करने और बेचने के अधिकार के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

"उत्तराखण्ड (पर्यटन विकास परिषद्) भूमि एकत्रीकरण एवं क्रियान्वयन नियमावली, 2017"

1. संक्षिप्त नाम :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड (पर्यटन विकास परिषद्) भूमि एकत्रीकरण एवं क्रियान्वयन नियमावली, 2017" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :

जब तक, जिस विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियम में,

(क) अधिनियम से, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम अभिप्रेत है।

(ख) परिषद् से, इस अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, जैसा कि यथास्थिति परिषद् द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत है।

(ग) सरकार से, उत्तराखण्ड प्रदेश की सरकार अभिप्रेत है।

(घ) नियम के अन्तर्गत प्रयुक्त में लाये जा रहे शब्द एवं अभिव्यक्ति, जो परिभाषित नहीं है, का अर्थ वही होगा, जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट किया जाए।

3. लागू होना :

ये नियम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होंगे।

4. सामान्य :

(1) परिषद् हस्तान्तरण विलेख/क्रय विलेख द्वारा भूमिधारकों/व्यक्तियों/स्वामियों से उस मूल्य पर जैसा कि उपनियम (2) में उल्लिखित समिति द्वारा निर्धारित किया जाए, से भूमि क्रय कर समूहन कर सकेगा।

(2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो कि अपर जिलाधिकारी से निम्न न हो, और सम्बन्धित जिले का विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (जहाँ जिले में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी नहीं है, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी सदस्य होंगे)।

(3) समिति द्वारा भूमि एकत्रीकरण हेतु क्रय किये जाने वाली भूमि हेतु दर/धनराशि का निर्धारण ऐसी सीमा तक, जैसा कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 से अधिक निर्धारित नहीं किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी, परिषद् द्वारा उपर्युक्त रीति से क्रय की गयी भूमि को राजस्व अभिलेखों में परिषद् के नाम दाखिल किया जायेगा।

5. परिषद् की शक्तियाँ :

परिषद् को भूमि क्रय के उपरान्त एकत्रीकरण की गयी भूमि को अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत उपयोग की शक्ति होगी।

6. विविध :

(1) इन नियमों के अन्तर्गत भूमि के एकत्रीकरण से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(2) राज्य सरकार, शासकीय आदेशों के माध्यम से इन नियमों में स्पष्टता लाने के प्रयोजनार्थ किसी नियम या प्रारूप में संशोधन या उपान्तरण कर सकेगी।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 3049/X–1–2017–14(09)/2014–श्री जी0 सोनार, भा0व0से0, मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी, जिनकी जन्मतिथि 09.02.1958 (नौ फरवरी उन्नीस सौ अठ्ठावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनाँक 28.02.2018 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

17 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 3051/X–1–2017–14(09)/2014–डॉ0 दिवाकर सिन्हा, भा0व0से0, क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी/गढ़वाल क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून/कोटद्वार, जिनकी जन्मतिथि 02.01.1958 (दो जनवरी उन्नीस सौ अठ्ठावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनाँक 31.01.2018 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रभारी सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/672–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2017 ई0 (कार्तिक 13, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

CORRIGENDUM

September 22, 2017

No. 225/UHC/XIV-a/40/Admin.A/2008--In partial modification to this Court's earlier notification No.200/UHC/XIV-a/40/Admin.A/2008, dated 18.08.2017, Ms. Deepali Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is sanctioned child care leave for 29 days *w.e.f.* 07.07.2017 to 04.08.2017 instead of earlier mentioned period of 33 days w.e.f. 03.07.2017 to 04.08.2017.

NOTIFICATION

September 22, 2017

No. 226/UHC/XIV-a/40/Admin.A/2008--Ms. Deepali Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 17 days *w.e.f.* 16.08.2017 to 01.09.2017 with permission to suffix 02.09.2017 and 03.09.2017 as holidays, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

October 05, 2017

No. 227/XIV-a/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungarakoti, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 16 days *w.e.f.* 31.08.2017 to 15.09.2017, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011, dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

October 06, 2017

No. 230/UHC/XIV-a/32/Admin.A/2015--Ms. Meenal Chawla, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned medical leave for 10 days *w.e.f.* 22.08.2017 to 31.08.2017.

NOTIFICATION

October 12, 2017

No. 231/UHC/XIV-a-33/Admin.A/2015--Ms. Tista Shah, 4th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 11.09.2017 to 20.09.2017 with permission to prefix 10.09.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

October 12, 2017

No. 232/UHC/XIV/95/Admin.A/2003--Ms. Kusum, Additional Chief Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 18.09.2017 to 28.09.2017 with permission to prefix 17.09.2017 as Sunday holiday and suffix 29.09.2017 to 02.10.2017 as holidays.

NOTIFICATION

October 12, 2017

No. 233/UHC/XIV-a/43/Admin.A/2012--Ms. Tricha Rawat, Civil Judge (Jr. Div.), Narendra Nagar, District Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 16.09.2017 to 28.09.2017 with permission to suffix 29.09.2017 to 02.10.2017 as holidays.

NOTIFICATION

October 13, 2017

No. 234/UHC/XIV/84/Admin.A/2003--Sri Sujeet Kumar, Additional District Judge, Ramnagar, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 05 days w.e.f. 04.10.2017 to 08.10.2017.

NOTIFICATION

October 25, 2017

No. 255/UHC/XIV-a/34/Admin.A/2016--Sri Amit Bhatt, Civil Judge (Jr. Div.), Gairsain, District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 20 days *w.e.f.* 20.09.2017 to 09.10.2017.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

10 अक्टूबर, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 3341/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–आयुक्त, राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3258/आ0रा0क0उ0/जी0एस0टी0–विधि अनुभाग/2017–18, दिनाँक 10 अक्टूबर, 2017 का संदर्भ गंहण करें, जिसके द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं को प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करना अधिसूचित किया गया।

उपरोक्त अधिसूचना इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड

(राज्य कर विभाग)

अधिसूचना

04 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 3258/आ0रा0क0उ0/जी0एस0टी0–विधि अनुभाग/2017–18–उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आयुक्त, एतद्द्वारा, किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बन्धपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करता हूँ:–

(i) ऐसे मामलों में, जहाँ अपवंचित कर की रकम दो सौ पचास लाख रुपये से अधिक है तथा जिन्हें उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बन्धपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे;

(ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर, दो प्रतियों में, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी–11 के उपाबन्ध में दिया जाएगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबन्ध निदेशक या कम्पनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कम्पनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;

(iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट देय कर और ब्याज का भुगतान उक्त उपनियम के खण्ड (क) अथवा खण्ड (ख) में उल्लिखित अवधि में नहीं कर पाता है तो यह माना जाएगा कि बिना एकीकृत कर का भुगतान किये निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है, वह वापस ले ली गई है और यदि उक्त उपनियम में उल्लिखित राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो बिना एकीकृत कर का भुगतान किये निर्यात करने की जो सुविधा दी गई है, वह बहाल हो जाएगी।

2. इस अधिसूचना के उपबन्ध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सहित किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किये बिना किये गये माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।

अमित सिंह नेगी,
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

NOTIFICATION

October 04, 2017

No. 3258/CSTUK/GST-Vidhi Section/2017-18--In exercise of the powers conferred by section 54 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 and sub-rule(5) of rule 96A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, I, the Commissioner, hereby specifies conditions and safeguards for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond by a registered person, who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax--

(i) all registered persons, who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a Letter of Undertaking in place of a bond except those who have been prosecuted for any offence under the Uttarakhand Goods an Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) or any of the existing laws in force in a case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees;

(ii) the letter of undertaking shall be furnished on the letterhead of the registered person, in duplicate, for a financial year in the annexure to FORM GST RFD-11 referred to in sub-rule(1) of rule 96A of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorized by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor;

(iii) Where the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A of Uttarakhand Goods and Services Tax rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) or clause (b) of the said sub-rule, the facility of export without payment of integrated tax will be deemed to have been withdrawn and if the amount mentioned in the said sub-rule is paid, the facility of export without payment of integrated tax shall be restored.

2. The provisions of this notification shall mutatis mutandis apply in respect of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person (including a Special Economic Zone developer of Special Economic Zone unit) to a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.

AMIT SINGH NEGI,
Commissioner State Tax,
Uttarakhand.

23 अक्टूबर, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 3583/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0 मुख्यालय/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 800/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 एवं अधिसूचना संख्या 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, समदिनांकित 12 अक्टूबर, 2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में श्री विपिन चन्द्र, अपर आयुक्त राज्य कर, मुख्यालय को नियुक्त किये जाने एवं हस्तशिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचनाएँ इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 800/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

2. अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग–8, की अधिसूचना संख्या 691/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 28 अगस्त, 2017 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06, वर्ष 2017) की धारा 96 की उपधारा (2) सपठित उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 103 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "उत्तराखण्ड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण), के सदस्य के रूप में श्री विपिन चन्द्र, अपर आयुक्त, राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून, को नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 800/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** dated October 12, 2017 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2017

No. 800/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in the course of Notification no. 691/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated August 28, 2017, the Governor, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 96 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017) read with rule 103 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rule, 2017, is pleased to allow to appoint Shri Vipin Chandra, Additional Commissioner State Tax, Headquarter Dehradun, as a member of the "Uttarakhand Authority for Advance Ruling".

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

अधिसूचना

12 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06, वर्ष 2017) की धारा 23 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हस्तशिल्प माल के कराधेय प्रदाय करने वाले नैमित्तिक कराधेय व्यक्तियों को पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रकरण अभिप्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

परन्तु ऐसे मालों का कुल मूल्य, जो अखिल भारतीय आधार पर संगणित किया जाना है, किसी वित्तीय वर्ष में दस लाख रुपये की रकम से अधिक नहीं है:

2. पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करेंगे और उत्तराखण्ड माल तथा सेवा कर नियम, 2017 के नियम 138 के उपबन्धों के अनुसार ई–वे बिल सृजित करेंगे।

3. उपरोक्त छूट ऐसे व्यक्तियों को उपलब्ध होगी जो हस्तशिल्प माल के अन्तर्राज्यीय कराधेय प्रदाय कर रहे हैं और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप–खण्ड (i) में सा0का0नि0सं0 1156 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2017–एकीकृत कर तारीख 14 सितम्बर, 2017 का फायदा ले रहे हैं।

"स्पष्टीकरण–इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" पद से, नीचे सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लिखित उत्पाद और उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सुमेलित नामपद्धति प्रणाली (एचएसएन) संहिता अभिप्रेत है, जब उत्पाद शिल्पकारों द्वारा प्रमुखतया हाथ से बनाया जाता है, हालांकि प्रक्रिया में कुछ मशीनरी का भी प्रयोग किया जा सकेगा।"

सारणी

क्र0 सं0	उत्पाद	एचएसएन कोड
(1)	(2)	(3)
1.	चमड़े की वस्तुएँ (जिनके अन्तर्गत थैला, पर्स, जीनसाजी, साज, वस्त्र भी हैं)	4201, 4202, 4203
2.	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अन्तर्गत सन्दूक, जड़ाऊ कार्य, डिब्बे, पीपा भी हैं)	4415, 4416
3.	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद (जिनके अन्तर्गत टेबल और रसोई बर्तन भी हैं)	4419
4.	उत्कीर्णित काष्ठ उत्पाद	4420
5.	काष्ठ के घुमावदार और रलाक्षबर्तन	4421
6.	बाँस उत्पाद (सजावटी और उपयोगी वस्तुएँ)	46
7.	तृण, पत्तियाँ और सरकंडा तथा फाइबर उत्पाद, चटाई, थैलियाँ, पेटियाँ	4601, 4602
8.	कागज मेश की वस्तुएँ	4823
9.	टेक्सटाइल (हथकरघा उत्पाद)	जिनके अन्तर्गत 50, 58, 62, 63 भी है
10.	टेक्सटाइल हस्तमुद्रण	50, 52, 54
11.	जरी धागा	5605
12.	कालीन, रग और दरी	57
13.	टेक्सटाइल, हस्त कशीदाकारी	58
14.	थिएटर पोशाक	61, 62, 63
15.	कयर उत्पाद (जिनके अन्तर्गत चटाइयाँ, गद्दे भी हैं)	5705, 9404

(1)	(2)	(3)
16.	चमड़े का जूता	6403, 6405
17.	उत्कीर्णित प्रस्तर उत्पाद (जिनके अन्तर्गत प्रतिमा, लघु प्रतिमा, जन्तुओं की आकृति, लेखन सेट, एस्ट्रे, मोमबत्ती दान भी हैं)	6802
18.	प्रस्तर जड़ाऊ कार्य	68
19.	मिट्टी के बर्तन तथा मृतिका उत्पाद, जिसके अन्तर्गत टैराकोटा भी है	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20.	धातु टेबल तथा रसोई बर्तन (ताम्र, पीतल के बर्तन)	7418
21.	अध्याय 73 और 74 की धातुओं के सज्जीकरण के लिए प्रयुक्त किस्म की धातु की मूर्तियाँ, प्रतिमा/मूर्तिदान, कलश और क्रॉस	8306
22.	धातु बिदरीवेयर	8306
23.	संगीत वाद्य यंत्र	92
24.	सींग और अस्थि उत्पाद	96
25.	शंख सीपी शिल्प वस्तुएँ	96
26.	फर्नीचर, बाँस, केन/बेंत के फर्नीचर	
27.	गुड़िया और खिलौने	9503
28.	लोक चित्रकारी मधुबनी, पतचित्रा, राजस्थानी लघु चित्र आदि	97

4. यह अधिसूचना दिनाँक 15 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** dated October 12, 2017 for general information.

NOTIFICATION

October 12, 2017

No. 801/2017/9(120)/XXVII(8)/2017--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to specify the casual taxable persons making taxable supplies of handicraft goods as the category of persons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act;

Provided that the aggregate value of such supplies, to be computed on all India basis, does not exceed an amount of ten lakh rupees in a financials year:

2. The casual taxable persons mentioned in the preceding paragraph shall obtain a Permanent Account Number and generate an e-way bill in accordance with the provisions of rule 138 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

3. The above exemption shall be available to such persons who are making inter-State taxable supplies of handicraft goods and are availing the benefit of notification No. 8/2017-Integrated Tax, dated the 14th September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.1156(E), dated the 14th September, 2017.

Explanation : For the purposes of this notification, the expression "handicraft goods" means the products mentioned in column (2) of the Table below and the Harmonized System of Nomenclature (HSN) code mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table, when made by the craftsmen predominantly by hand even though some machinery may also be used in the process :

Table

Sl. No.	Products	HSN Code
(1)	(2)	(3)
1.	Leather articles (including bags, purses, saddlery, harness, garments)	4201, 4202, 4203
2.	Carved wood products (including boxes, inlay work, cases, casks)	4415, 4416
3.	Carved wood products(including table and kitchenware)	4419
4.	Carved wood products	4420
5.	Wood turning and lacquer ware	4421
6.	Bamboo products [decorative and utility items]	46
7.	Grass, leaf and reed and fibre products, mats, pouches, wallets	4601, 4602
8.	Paper mache articles	4823
9.	Textile (handloom products)	including 50, 58, 62, 63
10.	Textiles hand printing	50, 52, 54
11.	Zari thread	5605
12.	Carpet. rugs and durries	57
13.	Textiles hand embroidery	58
14.	Theatre costumes	61, 62, 63
15.	Coir product (including mats, mattresses)	5705, 9404
16.	Leather footwear	6403, 6405
17.	Carved stone products (including statues, statuettes, figures of animal, writing sets, ashtray, candle stand	6802
18.	Stones inlay work	68
19.	Pottery and clays products, including terracotta	6901, 6909, 6911, 6912, 6913, 6914
20.	Metal table and kitchen ware (copper, brass ware)	7418
21.	Metal statues, images/statues vases, urns and crosses of the type used for decoration of metals of chapters 73 and 74	8306
22.	Metal bidriware	8306

(1)	(2)	(3)
23.	Musical instruments	92
24.	Horn and bone products	96
25.	Conch shell crafts	96
26.	Bamboo furniture, cane/Rattan furniture	
27.	Dolls and toys	9503
28.	Folk paintings, Madhubani, Patchitra, Rajasthani miniature	97

4. This notification shall deemed to have come into force with effect from the 15th day of September, 2017.

By Order,

RADHA RATURI,

Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी

अधिसूचना

19 सितम्बर, 2017 ई0

संख्या 9035/आठ–07(2016–17)–भूमि अर्जन, पुनर्वासन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम, 2013, संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 19 (2) एवं उत्तराखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विकास योजना) नियमावली, 2016 के नियम संख्या 7(5) के अन्तर्गत समुचित सरकार अधिसूचित करती है कि:–

जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी में नैटवाड–मोरी जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) के निर्माण हेतु भू–अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत ग्राम बैनाल (3.692 हे0), नैटवाड (1.905 हे0) एवं गैंचवाणगाँव (1.559 हे0) कुल 7.156 हे0 निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

उक्त भू–अधिगहण से कोई भी कास्तकार/परिवारवास क्षेत्र से विस्थापित नहीं हुआ है एवं कुल 93 कास्तकारों की केवल निजी भूमि अधिगृहित हुई है। भू–अधिग्रहण से सम्बन्धित कास्तकारों/प्रभावित परिवारों को वर्ष 2013 में भू–अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि का मुआवजा भी प्रदान किया जा चुका है।

अर्जन निकाय, एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा नैटवाड–मोरी जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) हेतु भू–अधिग्रहण से प्रभावित कास्तकारों के लिए भू–अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति–2007 के आधार पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना तैयार की गई हैं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत नियुक्त पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन आयुक्त, जो कि आयुक्त, गढ़वाल मण्डल हैं, द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना से प्रभावित कास्तकारों के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन येाजना में निहित प्राविधानों का सार निम्न प्रकार है:–

पुनर्स्थापन अनुदानः

जिन परियोजना प्रभावित परिवारों की भूमि अधिग्रहित हुई है तथा जिन्हें भूमि, भूमि की लागत या रोजगार प्रदान नहीं किया गया है, उन्हें अपनी जीविका पुनः स्थापित करने के लिए एकबारगी पुनर्स्थापन अनुदान प्रदान किया जायेगा, जो कि इस प्रकार है:–

1. भूमिहीन परियोजना प्रभावित परिवारः

   1000 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी (एमएडब्ल्यू) के बराबर पुनर्स्थापन अनुदान या ₹ 2,00,000 (दो लाख), जो भी अधिक है।

2. परियोजना प्रभावित बड़े किसान परिवार, जिनको 70 प्रतिशत या अधिक भूमि गई है:

750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी (एमएडब्ल्यू) के बराबर पुनर्स्थापन अनुदान या ₹ 1,00,000 (एक लाख), जो भी अधिक हो।

3. अन्य परियोजना प्रभावित परिवार यानि सीमांत किसान, छोटे किसान तथा जिन किसानों की भूमि अंशतः गई है:

750 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी (एमएडब्ल्यू) के बराबर पुनर्स्थापन अनुदान या ₹ 1,00,000 (एक लाख), जो भी अधिक हो।

यदि कोई परियोजना प्रभावित व्यक्ति, विस्थापन के बाद कहीं पर स्वयं जमीन खरीदता हो तो, उसे खेती के लिए निम्नलिखित लाभ दिए जायेंगे:–

(क) भूमि विकास के लिए मदद:

एलएफएल प्रदान किए गए प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार या विस्थापन के बाद जमीन खरीदने वाले परियोजना प्रभावित को भूमि का विकास करने के लिए ₹ 20,000 प्रति हेक्टेयर की एकबारगी वित्तीय मदद दी जाएगी (यदि भूमि बेकार या बंजर है)।

(ख) बीज एवं खाद की खरीद हेतु मदद:

एलएफएल प्राप्तकर्ता प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार या विस्थापन के बाद जमीन खरीदने वाले परियोजना प्रभावित परिवार को बीजों, खाद, कीटनाशकों इत्यादि जैसी कृषि उत्पादन के लिए सब्सिडी के रूप में ₹ 10,000 प्रति हेक्टेयर की एकबारगी वित्तीय मदद दी जाएगी।

विस्थापित दुकानदारों को मदद:

परियोजना द्वारा विकसित किए गए बाजार परिसर में प्रभावित दुकानदारों, जिनकी दुकानें अधिगृहित की गयी हैं, को दुकानें भी दी जाएगी या अधिग्रहित दुकान के पलिंथ एरिया के अनुसार न्यूनतम 25 वर्गमीटर एवं अधिकतम 100 वर्गमीटर के क्षेत्रफल का प्लाट दिया जाएगा और उस पर दुकान बनाने में ₹ 40,000 का अनुदान भी दिया जायेगा।

ग्रामीण कारीगरों, छोटे व्यापारियों एवं स्वरोजगाररत व्यक्तियों को मदद:

जो प्रभावित व्यक्ति अपने घर या वास भूमि के अन्दर कारोबार चला रहे थे, को कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए कामचलाऊ शेड या दुकान बनाने के लिए ₹ 30,000 की एकबारगी वित्तीय मदद दी जाएगी।

निर्वाह भत्ता:

प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को एक साल की अवधि तक 25 दिन के एमएडब्ल्यू के बराबर प्रतिमाह मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

असुरक्षित समूह के लिए मदद:

मुखिया को ₹ 18,000 (अठारह हजार) प्रति वर्ष की दर से जीवनपर्यन्त पेंशन दी जाएगी, यदि उसे पुनर्स्थापन अनुदान प्रदान नहीं किया गया हो।

मत्स्य अधिकार:

जलाशय में प्रभावित परिवार को प्राथमिक आधार पर मत्स्य अधिकार दिए जायेंगे।

प्रत्यक्ष रोजगार:

रिक्तियां होने पर तथा निगम द्वारा तय मानदण्ड के अुनसार अभ्यर्थियों को उपयुक्तता के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवार जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी है, को एसजेवीएन में नौकरी देने में प्राथमिकता दी जायेगी। नौकरी के लिए परियोजना प्रभावित परिवार को प्राथमिकता का अनुक्रम इस प्रकार रहेगा (1) भूमिहीन हुए प्रभावित परिवार, (2) जिन बड़े किसानों की 70 प्रतिशत या अधिक भूमि अधिग्रहित हुई है, (3) सीमांत किसान, (4) छोटे किसान, (5) जिन परियोजना प्रभावित परिवार की आंशिक भूमि अधिग्रहित हुई है।

द्वितीयक रोजगारः

परियोजना प्रभावित परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रभावित परिवारों को आय सृजन के लिए वित्तीय मदद, ठेकेदारों के यहाँ नौकरी, स्वरोजगार इत्यादि के लिए प्रशिक्षण जैसे कुछ विकल्प उपलब्ध करावाए जायेंगे।

आय सृजन योजना (आईजीएस):

जिन प्रभावित परिवारों को नौकरी या दुकान या दुकान का प्लॉट या कारोबार के लिए शैड निर्माण हेतु मदद प्रदान नहीं की गई है, उन प्रभावित परिवारों को आय सृजन करने के लिए प्रस्तावित कारोबारी लागत की 80 प्रतिशत के बराबर की आर्थिक मदद (अधिकतम ₹ 30,000) दी जाएगी;

इसके अलावा परियोजना प्रभावित परिवारों को कैन्टीन के लिए लाइसेंस, ठेकेदार के पास नौकरियाँ, हल्के वाहन किराये पर लगाना, छोटे–मोटे (डी–टाईप) ठेके आदि की सुविधाएँ प्रदान की जाएगी।

वास क्षेत्र के विस्थापितों (एचएसओ) का समूहिक पुनर्वासः

(क) निर्मित मकान का आवंटनः

भूमि उपलब्ध होने पर वास क्षेत्र के विस्थापितों (एचएसओ) को न्यूनतम 50 वर्गमीटर एवं अधिकतम 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के पलिंथ एरिया का निर्मित मकान आवंटित किया जाएगा; या

(ख) मकान के प्लॉटों का आवंटनः

भूमि उपलब्ध होने पर विस्थापितों (एचएसओ) को न्यूनतम 100 वर्गमीटर एवं अधिकतम 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल का प्लॉट निःशुल्क दिया जायेगा। इसके अलावा उन्हें ₹ 50,000 निर्माण अनुदान दिया जायेगा; या

(ग) वास क्षेत्र के विस्थापितों एचएसओ का स्व–पुनर्वासः

भूमि उपलब्ध होने पर स्व–पुनर्वास विकल्प चुनने पर उनकी पात्रता के अनुसार प्लॉट का उस क्षेत्र में मुआवजे के अनुसार मूल्य एवं ₹ 50,000 निर्माण अनुदान दिया जायेगा।

पुनर्वास कॉलोनी (आरसी) में ढाँचागत सुविधाएँः

पुनर्वास कॉलोनी (आरसी) का विकास पहुँच सड़कों, गली पथ, गली प्रकाश, सीवरेज, पेयजल, सामुदायिक स्थानों इत्यादि में पौधरोपण जैसी सभी ढाँचागत सुविधाओं के समावेश के साथ किया जाएगा।

वास क्षेत्र के विस्थापितों (एचएसओ) का ट्रांजिशन भत्ताः

विस्थापितों (एचएसओ) को अपने नये मकानों में शिफ्ट करने या मकान निर्माण पूरा होने तक 18 माह की ट्रांजिशन अवधि तक, जो भी पहले घटित हों, आवास हेतु किराए भत्ते के रूप में ₹ 2,500 प्रति माह दिये जायेंगे।

विस्थापित बीपीएल परिवार एवं अतिक्रमणकारियों को पुनर्वास लाभः

50 वर्गमीटर के पलिंथ एरिया का निर्मित मकान आवंटित किया जायेगा या 150 वर्गमीटर के पलिंथ एरिया की सीमा तक का प्लॉट और इसके अलावा उन्हें ₹ 25,000, निर्माण अनुदान दिया जायेगा, यदि बीपीएल परिवार स्व–पुनर्वास का विकल्प चुनते हैं तो उनकी पात्रता के अनुसार प्लॉट का उस क्षेत्र में मुआवजे के अनुसार मूल्य एवं ₹ 25,000, निर्माण अनुदान दिया जायेगा और 12 माह तक ₹ 2,500 प्रतिमाह की दर से ट्रांजिशन भत्ता दिया जायेगा।

शिफ्टिंग भत्ताः

विस्थापित परियोजना प्रभावित परिवार, को ₹ 20,000 की वित्तीय मदद दी जायेगी।

पशुशालाओं के निर्माण हेतु अनुदानः

यदि पशुशाला अधिग्रहित हो तो पशुशाला बनाने के लिए ₹ 20,000 की वित्तीय मदद दी जायेगी।

परियोजना प्रभावित परिवार को निःशुल्क विद्युत की आपूर्तिः

10 वर्षों के लिए परियोजना से उत्पादित बिजली में से प्रतिमाह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रतिमाह दी जायेगी।

परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमः

परियोजना प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए मेधावी छात्रवृत्ति योजना–₹ 2,000: व्यावसायिक प्रशिक्षण, ₹ 2,000: डिप्लोमा अभियान्त्रिकी, कम्प्यूटर आदि और ₹ 3,000: अभियान्त्रिकी/मेडिकल डिग्री।

परियोजना क्षेत्र के स्थानीय युवकों के लिए तकनीकी शिक्षा योजना–

तकनीकी शिक्षा हेतु विभिन्न ट्रेडों में प्रतिवर्ष 40 छात्र/छात्राएँ, राज्य आईटीआई संस्थानों में प्रायोजित किये जायेंगे।

परियोजना क्षेत्र में अवस्थित स्कूलों के लिए ढाँचागत सुविधाएँ एवं अन्य मददः

स्कूलों में फर्नीचर, शिक्षण सहायता, पुस्तकालयी पुस्तकें, प्रयोगशाला का सामान, अध्ययन सहायता कक्षा, कमरों एवं ढाँचों आदि के लिए मदद।

मोबाईल चिकित्सा वाहनः

परियोजना प्रभावित परिवार तथा स्थानीय वासियों को उनके घर–द्वार पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं दवाईयाँ देने के लिए एक मोबाईल चिकित्सा वाहन की व्यवस्था की जायेगी, जो डाक्टर एवं अर्द्धचिकित्सा स्टॉफ के साथ गाँवों का नियमित दौरा करेगा।

प्रभावित परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर अनुदानः

₹ 10,000।

विवाह अनुदानः

प्रभावित परिवारों में लड़की के विवाह हेतु ₹ 20,000 का अनुदान दिया जायेगा।

खेल गतिविधियों को बढ़ावाः

स्थानीय खेल प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन, स्थानीय टूर्नामेंटों के लिए वित्तीय मदद देने, खेल का सामान इत्यादि मुहैया करवाना।

सांस्कृतिक गतिविधियाँः

स्थानीय मेलों एवं त्यौहार के लिए मदद, परियोजना क्षेत्र तथा ईर्द–गिर्द में सांस्कृतिक विरासत एवं पुराने स्मारकों का संवर्धन।

खेती के लिए सहायताः

खेती की पैदावार बढ़ाने और अपने पशुओं की नस्ल एवं सेहत सुधारने की तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण, खेती के औजारों, पशु चारे, खाद, बीजों इत्यादि की मदद भी प्रदान की जायेगी।

सुख चुके जल स्त्रोतों का पुनरूद्धारः

परिवार नियोजन (स्माल फेमली नार्मस) को अपनाना–परिवार नियोजन को अपनाने पर प्रत्येक प्रभावित परिवार को एकबारगी ₹ 5,000 प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

परियोजना प्रभावित क्षेत्र में ढाँचागत विकास कार्यक्रमः

(1) पहुँच मार्गों के निर्माण, (2) ग्रामीण रास्ते, (3) पेय जल योजनाएँ, (4) सफाई एवं निकासी सुविधाएँ, (5) सामुदायिक कल्याण केन्द्रों का निर्माण, (6) शैचालयों का निर्माण एवं रख–रखाव, (7) दाह स्थलों का निर्माण, (8) प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आर्थिक सहायता इत्यादि।

पी0 एल0 शाह,
प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन/
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/672–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 नवम्बर, 2017 ई0 (कार्तिक 13, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे हाईस्कूल शैक्षिक प्रमाण पत्र में त्रुटिवश मेरा नाम MANOJ KUMAR GUSAI हैं जबकि वास्तविक नाम MANOJ KUMAR GUSAIN S/O PREM SINGH GUSAIN है। भविष्य में मुझे MANOJ KUMAR GUSAIN S/O PREM SINGH GUSAIN के नाम से जाना जावें।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मनोज कुमार गुसांई पुत्र प्रेम सिंह गुंसाई
MANOJ KUMAR GUSAIN S/o PREM
SINGH GUSAIN पता–61/II/II/B.H.E.L.
Ranipur Haridwar

सूचना

मैंने अपने पुत्र ज्योति प्रसाद बुडाकोटी का नाम बदलकर यश बुडाकोटी कर लिया हैं, भविष्य में मेरे पुत्र को यश बुडाकोटी पुत्र दिपक बुडाकोटी नाम से जाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

दिपक बुडाकोटी पुत्र नागेन्द्र प्रसाद बुडाकोटी
निवासी म0 नं0 30/ठ, अशोक नगर, पोस्ट
मिलापनगर, रूड़की, जिला हरिद्वार,

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 हिन्दी गजट/672–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)। उत्तराखण्ड।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।